

पुस्तक

श्री ज्योति बागुनी,  
अध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश मंत्रालय ।

सेवा में

श्रीमान,  
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
ब्लॉक नं. 2 महुआस केन्द्र,  
प्रति उत्तर प्रदेश नई दिल्ली ।

दिनांक 17/1 अक्टूबर

संख्या: दिनांक: 10 मार्च, 1998

विषय:- रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर को सीबीएसई की नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय पर मुझे एक कले का निदेश हुआ है कि रत्ना मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर को सीबीएसई की नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रावधान नहीं है :-

- 11। विद्यालय की पंजीकृत सीलायटों का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केविल शिक्षा परिषद से सम्बन्ध प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ लोकल फार दि इन्डियन स्कूल सर्तिफिकेट अकादमीय नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त वरदा शिक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तिथि के पारसेट से सम्बन्ध तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 15। संस्था केविल एवं सिविलियन कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य सुधारों से कम वेतनमान तथा अन्य सुधारों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा जहाँ जाती जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातवीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

MANAGER  
RATNA MEMORIAL PUBLIC SCHOOL  
RATNA PRAKASH MARG, AROGYA MANDIR  
GORAKHPUR

PRINCIPAL  
RATNA MEMORIAL PUBLIC SCHOOL  
AFFILIATION No. 2130373  
RATNA PRAKASH MARG P.O. AROGYA MANDIR  
GORAKHPUR



17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्राम/संविदाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त अर्थों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिसर/संरचना या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि  
1। संस्थाधिकारियों द्वारा भूमि विद्यालय के नाम करके हुए 6 आड़ में 2 मीटर जमान को अवगत कराया जायेगा ।

2। सभी अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वेतन का भुगतान किया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त ताल करने में किसी प्रकार की सूझ वा शिथिलता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भाटाप,

1। ज्योतिष गांधी  
संयुक्त सचिव ।

पुंनो 127411/15-7-1998 तददिनांक  
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2- सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।

4- निरीक्षक, जॉन नारायण विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, रत्ना मेमोरियल पाब्लिक स्कूल क्लारकपुर गोरखपुर ।


जाता है,



1। ज्योतिष गांधी  
संयुक्त सचिव ।



MANAGER  
RATNA MEMORIAL PUBLIC SCHOOL  
RATNA PRAKASH MARG, AROGYA MANDIR  
GORAKHPUR



PRINCIPAL  
RATNA MEMORIAL PUBLIC SCHOOL  
AFFILIATION No. 2130373  
RATNA PRAKASH MARG P.O. AROGYA MANDIR  
GORAKHPUR